23/04/2024

विश्व पृथ्वी दिवस (GS PAPER III: पर्यावरण)

- **पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने** के लिए 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ।
- 1970 में, अमेरिका में एक विशाल प्रदर्शन ने आधुनिक पर्यावरण आंदोलन और पहले पृथ्वी दिवस को जन्म दिया।
- **वैश्विक पहुंच:** यह 190 से अधिक देशों में कार्यक्रमों, अभियानों और शैक्षिक पहलों के साथ मनाया जाता है।
- 2023 की थीम " **हमारे ग्रह में निवेश करें** " है।
- इस वर्ष पृथ्वी दिवस का पहला ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण पर है। 2024 का विषय " **ग्रह बनाम प्लास्टिक** " है।
- इसका **उद्देश्य प्लास्टिक से होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरों को उजागर करना है।**
- सालाना **लाखों टन प्लास्टिक कचरा महासागरों और लैंडफिल में फेंक दिया जाता है।**
- पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।

विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मायने रखता है?

- **पर्यावरण जागरूकता:** हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और कल्याण को खतरे में डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है।
- **प्रेरक परिवर्तन:** व्यक्तियों, समुदायों, व्यवसायों और सरकारों को स्थायी विकल्प चुनने और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **सामूहिक कार्रवाई:** पेड़ लगाने से लेकर साफ-सफाई तक, स्वस्थ ग्रह को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है।
- **वकालत:** मजबूत पर्यावरण कानून लागू करने के लिए नेताओं और नीति निर्माताओं पर दबाव डालता है।
- **स्वयंसेवक:** पर्यावरण संगठनों का समर्थन करें और संरक्षण प्रयासों में भाग लें।
- **सरल क्रियाएँ:** अपने कार्बन पदचिह्न को कम करें, पानी का संरक्षण करें, पुनर्चक्रण करें और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद चुनें।
- **प्रचार करें:** पृथ्वी दिवस और ग्रह की सुरक्षा के तरीकों के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करें।

याद रखें: हर दिन पृथ्वी दिवस हो सकता है। हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो कार्रवाई करते हैं, उससे हमारे ग्रह के भविष्य पर फर्क पड़ता है।

राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए फ़ाइलें लौटाने पर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है ' (23 अप्रैल)

PatrioticIAS

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

- 2005 में भारतीय संसद द्वारा पारित।
- नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार से लड़ना।
- **दायरा:** सभी केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों और पर्याप्त रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है।

आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **सूचना मांगने का अधिकार:** भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी का अनुरोध कर सकता है।
- **प्रक्रिया:** नागरिक न्यूनतम शुल्क के साथ एक नामित सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पास आरटीआई आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
- **कवर की गई जानकारी:** इसमें शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है:
  - रिकॉर्ड, दस्तावेज़ और फ़ाइलें
  - सरकार के फैसले और नीतियां
  - प्रशासनिक कार्रवाइयों के कारण
  - सार्वजनिक धन का उपयोग
- **प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा:** पीआईओ को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी।
- **छूट:** राष्ट्रीय सुरक्षा, संवेदनशील वाणिज्यिक जानकारी आदि के लिए सीमित छूट। कुछ मामलों में आंशिक खुलासा संभव है।
- **अपील:** पीआईओ के फैसले के खिलाफ अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और आगे केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम का महत्व:

- **शक्तिशाली उपकरण:** आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सरकार को जवाबदेह बनाने और सूचित विकल्प चुनने का अधिकार देता है।
- **पारदर्शिता:** सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को रोकता है।
- **सहभागी लोकतंत्र:** शासन में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

- राष्ट्रपति भवन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटाने की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।
- यह प्रतिक्रिया तमिलनाडु के राज कपिल द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दायर याचिका के संबंध में दी गई।
- याचिकाकर्ता ने यह जानना चाहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी बार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, संसद, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी), केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय एजेंसियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं सहित विभिन्न निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों को वापस किया है।
- राष्ट्रपति भवन के निदेशक शिवेन्द्र चतुर्वेदी ने उत्तर दिया कि उल्लिखित संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों को पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने के संबंध में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

PatrioticIAS

- प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों को पुनर्विचार के लिए लौटाने का कोई उदाहरण नहीं है।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मामलों के संबंध में आरटीआई आवेदन गृह मंत्रालय को निर्देशित किया गया था, जो इस संबंध में नोडल मंत्रालय और रिकॉर्ड का संरक्षक है।
- याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि यदि वह जवाब से असंतुष्ट है तो वह एक महीने के भीतर आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपील दायर कर सकता है।
- राष्ट्रपति भवन की प्रतिक्रिया पर आश्चर्य व्यक्त किया , क्योंकि इसने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इससे इनकार किया कि क्या राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए लौटाया था।
- उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रपति सचिवालय ने आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी साझा क्यों नहीं की, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित फाइलों और निर्णयों का संरक्षक था।
- राष्ट्रपति भवन के जवाब को अधूरा और भ्रामक बताते हुए इसकी आलोचना की।
- उन्होंने सवाल किया कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के संवैधानिक कामकाज के लिए महत्वपूर्ण डेटा की कमी कैसे हो सकती है, जो प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह आलोचना तब उठी जब चेन्नई के एक छात्र को इसी तरह की प्रतिक्रिया दी गई, जिसने आरटीआई अधिनियम के तहत यह जानकारी मांगी थी कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कितनी बार प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद के फैसले को वापस कर दिया था।

फिल्म के ट्रेलर वादे नहीं होते, केवल चर्चा पैदा करने के लिए होते हैं: सुप्रीम कोर्ट (23 अप्रैल)

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फिल्म का ट्रेलर कानूनी रूप से लागू करने योग्य वादा या समझौता नहीं है।
- यदि ट्रेलर की सामग्री वास्तविक फिल्म से मेल नहीं खाती है तो निर्माताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- अदालत ने कहा कि प्रमोशनल ट्रेलरों में गाने, संवाद या दृश्य जैसे तत्व फिल्म की सामग्री का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के बजाय फिल्म के लिए उत्साह और प्रचार पैदा करने के लिए होते हैं।
- फैसले ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पिछले आदेश को पलट दिया, जिसने यशराज फिल्म्स को एक स्कूल शिक्षक को मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जो फिल्म "फैन" के एक गाने को बाहर करने से निराश था।

PatriotIAS

- अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि सेवा में कोई कमी नहीं थी, और शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से मान लिया कि एक प्रचार ट्रेलर एक कानूनी प्रस्ताव या वादा था।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)

राष्ट्रीय **उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)** **भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित** एक अर्ध-न्यायिक निकाय है । यह देश में शीर्ष उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के रूप में कार्य करता है, जो **राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच (डीसीडीआरएफ) के आदेशों के खिलाफ अपील को संबोधित करता है।**

महत्वपूर्ण कार्यों:

- राज्य आयोगों द्वारा एक विशिष्ट मूल्य (अधिनियम के अनुसार) से अधिक पारित आदेशों की अपील सुनता है।
- **संशोधन:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या कानून में त्रुटिपूर्ण होने जैसे आधारों पर राज्य आयोगों द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करता है।
- **स्थानांतरण:** सुविधा के लिए या न्याय के हित में मामलों को एक राज्य आयोग से दूसरे राज्य आयोग में स्थानांतरित करना।
- **पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन:** उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली के कुशल कामकाज के लिए राज्य आयोगों को मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान करता है।

संघटन:

- इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- इसमें कानून, अर्थशास्त्र, प्रशासन, सार्वजनिक मामले या उपभोक्ता संरक्षण जैसे प्रासंगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले सदस्य शामिल हैं।

फ़ायदे:

- **किफायती और सुलभ:** उपभोक्ताओं को शिकायतों के निवारण के लिए अपेक्षाकृत सस्ता और सुलभ मंच प्रदान करता है।
- **शीघ्र निपटान:** इसका उद्देश्य नियमित अदालतों की तुलना में न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ विवादों को शीघ्रता से हल करना है।
- **विशेषज्ञ प्रबंधन:** मामलों की सुनवाई प्रासंगिक कानूनी और उपभोक्ता संरक्षण ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा की जाती है।

वेंकैया नायडू, मिथुन, उषा उथुप , पद्म पुरस्कार से सम्मानित (23 अप्रैल)

पद्म पुरस्कार: भारत का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान

- **स्थापित:** 1954
- **उद्देश्य:** विभिन्न विषयों और गतिविधि के क्षेत्रों में "विशिष्ट कार्य" और असाधारण उपलब्धियों को

PatrioticIAS

पहचानना।

- **प्रशासित:** गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- **घोषणा:** आमतौर पर हर साल गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की पूर्व संध्या पर की जाती है

पद्म पुरस्कारों के प्रकार:

तीन अलग-अलग पद्म पुरस्कार हैं, जो महत्व के घटते क्रम में दिए जाते हैं:

1. **पद्म विभूषण** (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए)
2. **पद्म भूषण** (उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए)
3. **पद्म श्री** (विशिष्ट सेवा के लिए)

शामिल अनुशासन:

- कला (संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, आदि)
- सामाजिक कार्य
- सार्वजनिक मामलों
- विज्ञान और इंजीनियरिंग
- व्यापार और उद्योग
- दवा
- साहित्य और शिक्षा
- खेल
- सिविल सेवा
- अन्य

चयन प्रक्रिया:

- व्यक्ति और संस्थान **स्व-नामांकन सहित नामांकन जमा कर सकते हैं।** पद्म पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन उपलब्ध हैं।
- प्रधान मंत्री द्वारा गठित एक समिति नामांकन की जांच करती है और अनुमोदन के लिए प्रधान मंत्री और भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
- पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल थे।
- एम. वेंकैया नायडू और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मिला।
- बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनकी पत्नी अमोला ने प्राप्त किया।
- मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप , उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाइक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को **पद्म भूषण मिला** ।
- **गुजरात स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ तेजस मधुसूदन पटेल, मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मयालू (राजदत्त), और चिकित्सक चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर** पद्म भूषण के अन्य प्राप्तकर्ताओं में से थे।
- पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में **मास्टर कालीन बुनकर खलील अहमद भी शामिल हैं** उत्तर प्रदेश के लोकगायक **कालूराम मध्य प्रदेश से बामनिया** , **बांग्लादेशी गायिका रेजवाना चौधरी बान्या** , **उत्तर प्रदेश**

PatrioticIAS

से चिकनकारी कढ़ाई कलाकार नसीम बानो और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से राजबोंगशी लोक गायिका गीता रॉय बर्मन ।

- अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, त्रिपुरा के आध्यात्मिक व्यक्ति चित्त रंजन देबबर्मा, बैंकर कल्पना मोरपारिया , परोपकारी किरण नादर, हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह और उत्तर प्रदेश की लोक गायिका उर्मिला श्रीवास्तव शामिल हैं।
- एक हृदयस्पर्शी क्षण तब आया जब असम के प्रसिद्ध लोक नर्तक द्रोण भुइयां ने राष्ट्रपति से पद्म श्री प्राप्त करने के लिए रेड कार्पेट पर चलते हुए ओजापाली और देवधनी नृत्य शैली के माध्यम से आभार व्यक्त किया।

'आपराधिक मामलों के आरोपियों ने 17वीं लोकसभा में अधिक सीटें जीतीं (23 अप्रैल)

- सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट से पता चला कि 17वीं लोकसभा में आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों ने अधिक सीटें जीतीं।
- यह रिपोर्ट 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के दौरान आई है।
- यह मतदाताओं के लिए उन उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने की आवश्यकता पर जोर देता है जिन्हें वे वोट दे रहे हैं।
- रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मतदाताओं को सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है।
- वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों में देरी के कारणों और प्रगति के बारे में मतदाताओं को जानने के महत्व पर जोर दिया।
- रिपोर्ट विधायकों से जुड़े आपराधिक मुकदमों के बारे में जिलेवार विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य उच्च न्यायालयों की वेबसाइटों पर एक समर्पित टैब बनाने की सिफारिश करती है।
- इस टैब में प्रत्येक परीक्षण की प्रगति और किसी भी देरी के कारणों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- इसका लक्ष्य मतदाताओं और आम जनता को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है।
- अधिवक्ता स्नेहा कलिता की सहायता से न्याय मित्र ने 2024 चरण I और चरण II के लोकसभा चुनावों के संबंध में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट का हवाला दिया।
- कुल 2,810 उम्मीदवारों (पहले चरण में 1,618 और दूसरे चरण में 1,192) में से 501 उम्मीदवारों (18%) के खिलाफ आपराधिक मामले थे।

PatrioticIAS

- इन उम्मीदवारों में से 327 (12%) पर गंभीर आपराधिक मामले थे, जिनमें पांच साल या उससे अधिक की कैद की सजा हो सकती है।
- तुलनात्मक रूप से, 2019 के लोकसभा चुनावों में, 7,928 उम्मीदवारों में से 1,500 उम्मीदवारों (19%) के खिलाफ आपराधिक मामले थे, जिनमें से 1,070 (13%) गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे थे।
- हालाँकि, 17वीं लोकसभा (2019-2024) के 514 निर्वाचित सदस्यों में से 225 सदस्यों (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले थे।
- इससे पता चलता है कि आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों ने बिना आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की तुलना में अधिक सीटें जीती हैं।

'मामले लंबित'

- श्री हंसारिया उच्चतम न्यायालय के लिए न्याय मित्र के रूप में कार्य करते हैं और कानून निर्माताओं से जुड़े आपराधिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- 20 अप्रैल, 2024 की उनकी नवीनतम रिपोर्ट, सांसदों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में प्रमुख आंकड़ों पर प्रकाश डालती है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, 1 जनवरी 2024 तक सांसदों के खिलाफ 4,472 आपराधिक मामले लंबित थे।
- 2023 में विधायकों के खिलाफ 1,746 नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए।
- हालाँकि, उसी वर्ष सांसदों से जुड़े 2,018 आपराधिक मामले सुलझाए गए।
- कुछ मामलों का फैसला होने के बावजूद, बड़ी संख्या में मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। पिछली रिपोर्ट में, यह नोट किया गया था कि नवंबर 2022 तक 5,175 लंबित मामलों में से 40% पांच साल से अधिक समय से लंबित थे।
- श्री हंसारिया ने चिंता व्यक्त की कि सांसदों और विधायकों पर मुकदमा चलाने के लिए नामित विशेष अदालतों में मामलों का विवरण किसी भी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
- उन्होंने सिफारिश की कि सुप्रीम कोर्ट कानून निर्माताओं से जुड़े मामलों पर वास्तविक समय की जानकारी अपलोड करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के समान एक मॉडल वेबसाइट बनाने का निर्देश देने पर विचार करे।
- उन्होंने इस पहल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी सुझाव दिया।

2 महिला नौसेना अधिकारी ऐतिहासिक ट्रांसओशनिक अभियान के बाद वापस लौटीं (23 अप्रैल)

PatrioticIAS

- भारतीय नौसेना नौकायन पोत आईएनएसवी तारिणी 21 अप्रैल को गोवा में अपने बेस पोर्ट पर लौट आया।
- यह लगभग दो महीने तक चले ऐतिहासिक ट्रांसओशनिक अभियान के अंत का प्रतीक था।
- यह अभियान भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा पूरा किया गया, जो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली थीं।
- यह अभियान लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा डबल-हैंड मोड में चलाया गया था।
- इस यात्रा को 28 फरवरी को प्रसिद्ध जलयात्राकर्ता और संरक्षक कमांडर अभिलाष टॉमी (सेवानिवृत्त) ने गोवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
- हिंद महासागर में 22 दिनों तक यात्रा करने के बाद, आईएनएसवी तारिणी 21 मार्च को पोर्ट लुइस, मॉरीशस पहुंची।
- इस उपलब्धि का जश्न विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया जहां अधिकारियों ने मॉरीशस तट रक्षक और भारतीय उच्चायोग के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की।
- आईएनएसवी तारिणी ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों समुद्री देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मॉरीशस तट रक्षक के कर्मियों के साथ एक प्रशिक्षण उड़ान भी आयोजित की।
- पोर्ट लुइस में अपनी गतिविधियाँ पूरी करने के बाद, लेफ्टिनेंट कमांडर। दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर। 30 मार्च को रूपा चली गई।
- अपनी वापसी यात्रा के दौरान, उन्हें भारी हवाओं, प्रतिकूल समुद्री स्थितियों और अशांत समुद्र जैसी लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- चुनौतियों के बावजूद, उनकी उपलब्धियाँ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और समुद्री क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने की भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं।
- पूरे अभियान के दौरान अधिकारियों ने असाधारण नाविक कौशल और लचीलेपन का प्रदर्शन किया।
- वे अब अपनी अगली यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि सागर परिक्रमा-IV अभियान नाम से विश्व की परिक्रमा है, जो सितंबर में आईएनएसवी तारिणी पर शुरू होने वाली है।
- रविवार को, आईएनएसवी तारिणी को कमांडिंग ऑफिसर, आईएनएस मंडोवी और नौसेना स्टेशन कमांडर उत्तरी गोवा द्वारा नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की उपस्थिति में आईएनएस मंडोवी के नाव पूल पर हरी झंडी दिखाई गई।

का सहारा (Recourse to hate) (23 अप्रैल)

PatrioticIAS

पुनर्वितरण और अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन करना भाजपा की राजनीति का मूल है

(Demonising redistribution and minorities is core to the BJP's politics)

- नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति में अक्सर अपने समर्थन आधार को आकर्षित करने के लिए दक्षिणपंथी बयानबाजी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद भाषण और कुत्ते की सीटी का उपयोग करना शामिल होता है।
- हाल ही में, मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी भारतीयों की संपत्ति मुसलमानों के बीच बांट देगी और मुसलमानों को बड़ी संख्या में बच्चों वाले और घुसपैठिए करार दिया ।
- हालाँकि, ये दावे सटीक नहीं हैं। कांग्रेस के घोषणापत्र में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच भूमि वितरण की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की योजना शामिल है।
- स्वतंत्र सर्वेक्षणों से पता चलता है कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान धन असमानता में काफी वृद्धि हुई है, सरकारी नीतियां कॉरपोरेट्स के लिए कर छूट के पक्ष में हैं और अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर हैं।
- कॉर्पोरेट करों (46.5%) की तुलना में व्यक्तिगत कर कर दायरे का एक बड़ा हिस्सा (53.3%) बनाते हैं, जिससे धन स्वामित्व में अधिक विषमता आती है।
- 2006 में, डॉ. सिंह ने एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी समूहों ने डॉ. सिंह के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया है और यह सुझाव दिया है कि इसमें दूसरों की तुलना में मुसलमानों को प्राथमिकता दी गई है।
- हालाँकि, डेटा से पता चलता है कि मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं के समान है, और विलंबित जनगणना डेटा से सभी वर्गों में प्रजनन दर में कमी का पता चल सकता है, जैसा कि पिछले जनगणना और NFHS (National family health survey)जैसे सर्वेक्षणों में दिखाया गया है।
- शब्द "घुसपैठिए" का प्रयोग अक्सर कुत्ते की सीटी के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ नकारात्मक अर्थ होता है।
- आसानी से उपलब्ध तथ्यों के बावजूद, दंगा भड़काने वाले गलत सूचनाएं फैलाना जारी रखते हैं, जिससे भारत का सार्वजनिक क्षेत्र दूषित हो रहा है।
- सोशल मीडिया और टेलीविज़न इस तरह की बयानबाजी को बढ़ावा देते हैं, जिससे यह गलत साबित होने पर भी परिणामों से प्रतिरक्षित हो जाता है।

PatrioticIAS

- भाजपा जैसी पार्टियाँ पुनर्वितरण जैसे सामाजिक न्याय उपायों का विरोध कर सकती हैं, समानता, जातिवाद और सामाजिक न्याय के सवालों से ध्यान भटकाने के लिए "दूसरों" का राक्षसीकरण कर सकती हैं।

पृथ्वी के 'अच्छे स्वास्थ्य ' के अधिकार को बहाल करना (23 अप्रैल)

हाल की न्यायिक घोषणाएँ और टिप्पणियाँ जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संवैधानिक मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने का प्रयास करती हैं, जलवायु कार्रवाई की कानूनी जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

एनडीसी

- **जलवायु कार्य योजनाएँ:** एनडीसी पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ हैं।
- **स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ:** प्रत्येक देश अपने द्वारा अपनाए जाने वाले उत्सर्जन कटौती लक्ष्य और अनुकूलन उपाय निर्धारित करता है।
- **पांच-वर्षीय अपडेट:** बढ़ती महत्वाकांक्षा और विकसित होती राष्ट्रीय परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए एनडीसी की हर पांच साल में समीक्षा और अद्यतन किया जाता है।

एनडीसी के प्रमुख तत्व

- **शमन:** ऊर्जा, कृषि और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की रणनीतियाँ और लक्ष्य।
- **अनुकूलन:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई, जैसे चरम मौसम की घटनाओं और समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति लचीलापन बनाना।
- **पारदर्शिता:** एनडीसी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए तंत्र।

एनडीसी का महत्व

- **वैश्विक लक्ष्य:** एनडीसी सामूहिक रूप से पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान करते हैं।
- **महत्वाकांक्षा और कार्रवाई:** पेरिस समझौते की सफलता जलवायु परिवर्तन पर पर्याप्त वैश्विक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए देशों द्वारा अपने एनडीसी को उत्तरोत्तर मजबूत करने पर निर्भर करती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** एनडीसी जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त करते हैं, ताकि विकासशील देशों को उनकी योजनाओं के

PatrioticIAS

कार्यान्वयन में सहायता मिल सके।

- यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने स्विट्जरलैंड को क्लिमासीनियोरिनन में वरिष्ठ महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया ।
- उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कार्रवाई अपर्याप्त मानी गई।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से महिलाओं की सुरक्षा करने में विफलता।
- जलवायु संकट को मानवाधिकार संकट के रूप में रेखांकित किया गया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला दिया गया।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट।
- 2023 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया।
- अंटार्कटिक समुद्री बर्फ की कमी और ग्लेशियर के पीछे हटने का रिकॉर्ड स्तर ।

तनावग्रस्त ग्रह

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2024 पर ग्रह की गंभीर स्थिति पर जोर दिया।
- मानवता के कृत्य प्रकृति और मानवता को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
- प्रकृति के साथ सद्भाव बहाल करने का आग्रह।
- भारत ने अपने दो राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिए हैं।
- हालाँकि, भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है, जहाँ 80% से अधिक आबादी आपदा-प्रवण क्षेत्रों में रहती है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आजीविका, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को प्रभावित करते हैं।
- न्यायालय की टिप्पणी अधिकारों के नजरिए से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर विचार करते हुए एक मिसाल कायम करती है।
- स्वास्थ्य, जीवन और स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को मान्यता देता है।
- जलवायु कार्रवाई की कानूनी जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करता है।
- अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर और सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच प्रयासों को एकीकृत करके जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के अवसर प्रदान करता है।

PatrioticIAS

- राज्य की क्षमताओं को बढ़ाने और धन, कार्यों और पदाधिकारियों के आवंटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में जलवायु परिवर्तन पर एक व्यापक विनियमन का प्रस्ताव।
- लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस की एक रिपोर्ट 60 देशों में जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कानूनों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है।
- ये कानून वैश्विक पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने से परे राष्ट्रीय नीतियों के लिए रणनीतिक दिशा स्थापित करते हैं।
- उदाहरणों में ग्लोबल नॉर्थ (जर्मनी, आयरलैंड, आदि) और ग्लोबल साउथ (दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, आदि) दोनों के देश शामिल हैं।
- जलवायु रूपरेखा कानूनों से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या और जलवायु कार्रवाई के लिए क्षमता में वृद्धि होती है।
- भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई कानून हैं, लेकिन एक रूपरेखा कानून जलवायु शासन को मजबूत कर सकता है और अधिक महत्वाकांक्षी कार्रवाई को सक्षम कर सकता है।
- एक ढांचागत कानून कड़ी जवाबदेही प्रदान कर सकता है और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा दे सकता है।
- भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जलवायु परिवर्तन के प्रति मध्यम से अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जलवायु नीतियों और कार्यों में सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

एसडीजी और स्थानीयकरण मॉडल

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए भारत का स्थानीयकरण मॉडल एसडीजी को स्थानीय स्तर की योजना में एकीकृत करता है।
- राज्य और क्षेत्र अपने स्वयं के एसडीजी रोडमैप और निगरानी प्रणाली बनाते हैं।
- राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है।
- स्थानीय सरकारों के लिए क्षमता निर्माण प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की व्यापक भागीदारी सहयोग को बढ़ावा देती है।
- प्रभावी कार्रवाई के लिए अंतर-मंत्रालयी और अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं।
- वन हेल्थ पहल में रोग नियंत्रण और महामारी की तैयारी के लिए 13 मंत्रालय शामिल हैं।
- जलवायु कार्रवाई के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है।
- सर्कुलर इकोनॉमी दृष्टिकोण को मानवाधिकारों के अनुरूप आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

PatrioticIAS

- रिवर्स लॉजिस्टिक्स सहित यह दृष्टिकोण परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है।

अधिकार आधारित संवाद

- अदालत का अवलोकन पर्यावरण, जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई पर अधिकार-आधारित संवाद को बढ़ावा देने में नागरिक समूहों और नागरिक समाज संगठनों को सशक्त बना सकता है।
- यह जलवायु शमन और पर्यावरण नीति के भीतर कार्रवाई के बीच संभावित तनाव पर काबू पाने पर आम सहमति बनाने में मदद कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के बीच संतुलन को संबोधित किया।
- इसमें समग्र समाधान तक पहुंचने के लिए बातचीत के महत्व पर जोर दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
- प्रकृति को एक जीवित इकाई के रूप में देखने वाली भारत की संस्कृति में 'धरती माता' की अवधारणा गहराई से रची-बसी है।
- 2022 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने 'मदर नेचर' को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए कानूनी व्यक्तित्व के साथ एक 'जीवित प्राणी' घोषित किया।
- इन निर्णयों और टिप्पणियों का उपयोग धरती माता के अच्छे स्वास्थ्य के अधिकार को बहाल करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से मुक्त भविष्य के लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

एकमात्र उम्मीदवार: शतरंज पर, भारत और डी. गुकेश की जीत (23 अप्रैल)

PatrioticIAS

भारत को अपनी सफलता के लिए और अधिक विशिष्ट शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने होंगे

- टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में डोम्माराजू गुकेश की जीत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- विश्व चैंपियनशिप के लिए चीन के डिंग लिरेन से खेलेंगे और इतिहास में सबसे कम उम्र के चैलेंजर बन जायेंगे।
- शतरंज में, विश्व चैंपियन बिना खेले ही ताज का बचाव करता है, जबकि चुनौती देने वाले को कठिन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतना होता है।

- चेन्नई के 17 वर्षीय गुकेश ने फैबियानो कारूआना और हिकारू नाकामुरा जैसे पसंदीदा खिलाड़ियों से आगे रहकर आश्चर्यचकित कर दिया।
- उनकी जीत से विश्व शतरंज में भारत का कद बढ़ गया है।
- टूर्नामेंट में भारत के पांच प्रतिभागी थे: तीन खुले वर्ग में और दो महिला वर्ग में।
- आर. प्रागनानंद और विदित गुजराती ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन उनमें निरंतरता की कमी थी।
- महिलाओं की स्पर्धा में कोनेरू हम्पी शुरुआती असफलताओं के बाद लचीलापन दिखाते हुए दूसरे और आर. वैशाली चौथे स्थान पर रहीं।
- टैन झोंग्यी ने महिलाओं की प्रतियोगिता जीती, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि विश्व चैम्पियनशिप चीन में ही रहेगी।
- गुकेश के पास चीन को दोहरी जीत हासिल करने से रोकने का मौका है।
- भारत को गुकेश की उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए और शतरंज में गति बरकरार रखने के तरीकों पर विचार करना चाहिए।
- गुकेश ने चेन्नई में सुपर ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट खेलने के बाद कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया।
- यह टूर्नामेंट भारत का अपनी तरह का पहला टूर्नामेंट था, जिसने देश में और अधिक विशिष्ट टूर्नामेंटों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

विकलांगता अधिकारों के लिए राजनीतिक स्थान, आशा की एक किरण (23 अप्रैल)

- चुनावी मौसम के दौरान, घोषणापत्र अक्सर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर चर्चा को नजरअंदाज कर देते हैं।
- कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने संविधान के अनुच्छेद 15 (और अनुच्छेद 16) के तहत भेदभाव के लिए एक विशिष्ट आधार के रूप में विकलांगता को शामिल करने की एक आशाजनक प्रतिबद्धता जताई है।
- वर्तमान में, अनुच्छेद 15 "धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी" के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है लेकिन स्पष्ट रूप से विकलांगता का उल्लेख नहीं करता है।
- इस वादे ने विकलांगता अधिकार आंदोलन के भीतर आशावाद पैदा किया है, जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

मांग के अनुरूप संशोधन

- विकलांगता अधिकार आंदोलन के भीतर संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करके स्पष्ट रूप से विकलांगता को भेदभाव के आधार के रूप में शामिल करने की लंबे समय से मांग की जा रही है।

PatrioticIAS

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा 2019 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) के साथ भारत के अनुपालन की समीक्षा के दौरान इस मांग की फिर से पुष्टि की गई थी।
- इस मांग के बावजूद, इस चूक को दूर करने के लिए अनुच्छेद 15 में संशोधन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
- संवैधानिक योजना के भीतर विकलांगता अधिकारों पर चर्चा ने ऐतिहासिक रूप से संविधान सभा की बहसों से लेकर विकलांगता अधिकार आंदोलन की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है।
- हालाँकि, भारत और विश्व स्तर पर विकलांगता अधिकार आंदोलन द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- 2006 में यूएनसीआरपीडी को अपनाना एक महत्वपूर्ण कदम था, यह मान्यता देते हुए कि विकलांग व्यक्ति "दूसरों के साथ समान आधार पर" अपने अधिकारों का आनंद लेने के हकदार हैं।
- भारत ने 2007 में कन्वेंशन की पुष्टि की और 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को अधिनियमित किया।
- हालाँकि यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन यह केवल उनके लिए समानता की एक प्रतिबंधित धारणा का विस्तार करता है।
- अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि किसी भी विकलांग व्यक्ति के साथ विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यह "वैध लक्ष्य" की अवधारणा का भी परिचय देता है।
- वाक्यांश "वैध उद्देश्य" को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे विभिन्न कार्यों को इस तरह वर्गीकृत करने की गुंजाइश है, जो संभावित रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में संशोधन करके विकलांगता अधिकारों में मौजूदा अंतर को दूर करने का प्रस्ताव है।
- हालाँकि, इस तरह के संशोधन के साथ भी, विकलांग व्यक्तियों के लिए भेदभाव के खिलाफ अधिकार संवैधानिक के बजाय वैधानिक अधिकार बना रहेगा।
- वैधानिक अधिकारों की तुलना में संवैधानिक अधिकार हमारी कानूनी प्रणाली में अधिक महत्व और मूल्य रखते हैं।
- भारत का संविधान राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और व्यक्तियों के बीच समानता और भेदभाव के खिलाफ अधिकार सुनिश्चित करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है, जो सामाजिक पदानुक्रम की पहचान करता है और बहिष्करणीय प्रथाओं का समाधान करना है।
- अनुच्छेद 15 के तहत विकलांगता को एक आधार के रूप में शामिल करने से ऐतिहासिक अन्याय दूर होंगे और भेदभाव के खिलाफ मजबूत सुरक्षा मिलेगी।

PatrioticIAS

- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15 में उल्लिखित अन्य आधारों के अनुरूप मानकर 'यौन अभिविन्यास' के लिए अनुच्छेद 15 के संरक्षण को बढ़ा दिया।
- इसी तरह, ऐसी संभावना है कि न्यायपालिका विकलांगता को एक समान आधार मानकर विकलांग व्यक्तियों को समान सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
- हालाँकि, विकलांगता को अनुरूप मानने से विशेष रूप से अनुच्छेद 15 के तहत आधार के रूप में विकलांगता को शामिल करने वाले संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
- समान आधार दृष्टिकोण पर भरोसा करने से मुकदमेबाजों पर बोझ पड़ता है और विकलांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रणालीगत हाशिए पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- विकलांगता अधिकारों में इस चूक को पहचानने और संबोधित करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के बजाय सरकार की होनी चाहिए।

राजनीतिक इच्छाशक्ति की संभावना

- कांग्रेस और सीपीआई (एम) के घोषणापत्र विकलांगता अधिकार आंदोलन की मांगों को संबोधित करने की इच्छा का संकेत देते हैं।
- भारत में विकलांगता अधिकार संगठनों ने इन मांगों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- फरवरी 2024 में, NCPEDP और NDN ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक घोषणापत्र जारी करके एक पहल शुरू की।
- इस घोषणापत्र में राजनीतिक दलों से विकलांग समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को प्राथमिकता देने और उनका समाधान करने का आग्रह किया गया।
- आशा है कि अन्य राजनीतिक दल भी इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे।
- भारत में चुनावी वादे अक्सर पूरे नहीं होते, लेकिन ये वादे विकलांगता अधिकारों को लेकर बदलाव की उम्मीद जगाते हैं।
- भारत में विकलांगता अधिकारों के प्रति राजनीतिक उदासीनता के खिलाफ आंदोलन गति पकड़ रहा है, जो इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा में संभावित बदलाव का संकेत दे रहा है।

भूकंप से निपटने की क्षमता में ताइवान से एक सबक (23 अप्रैल)

- पिछले दो दशकों में इंडोनेशिया, जापान, चीन, इटली, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इक्वाडोर, मैक्सिको, मोरक्को और तुर्की-सीरिया सीमा सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े भूकंप आए हैं।
- 3 अप्रैल को ताइवान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था.

PatrioticIAS

- ये भूकंप आकस्मिक घटनाएँ नहीं हैं बल्कि टेक्टोनिक गतिविधि से संबंधित हैं।
- भूकंप-प्रवण क्षेत्र विवर्तनिक समानताएं साझा करते हैं, और भूकंप विशिष्ट क्षेत्रीय बैंड में आते हैं।
- प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी का स्थलमंडल प्लेटों में विभाजित है जो लगातार एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान रहती हैं।
- शक्तिशाली भूकंप अक्सर हिमालय जैसी अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होते हैं, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से बनते हैं।
- नेपाल में 2015 में आए भूकंप से गंभीर क्षति हुई लेकिन हिमालय के नीचे से आए भूकंप ने भारत को बचा लिया।
- 4 अप्रैल, 2024 को हिमाचल प्रदेश के मनाली के आसपास के क्षेत्र में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया।
- कांगड़ा के पास आए भूकंप के साथ मेल खाती है , जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में महत्वपूर्ण हताहत और विनाश हुआ था।

दो भूकंपों की कहानी

- ताइवान चीन के तट से 160 किमी दूर स्थित है और इसका निर्माण पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपीन और यूरेशियन प्लेटों की अभिसरण सीमा पर हुआ है।
- फिलीपीन सागर प्लेट प्रति वर्ष लगभग 7.8 सेमी के वेग से उत्तर-पश्चिम में यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप ताइवान में मजबूत भूकंप आ रहे हैं।
- पूर्वी तट पर हुलिएन के पास नवीनतम भूकंप ने 1999 के ची-ची भूकंप की तुलना में न्यूनतम क्षति पहुंचाई।
- 1999 में 7.7 तीव्रता के ची-ची भूकंप में 2,430 से अधिक लोग मारे गए, 11,305 घायल हुए और महत्वपूर्ण इमारतें ढह गईं।
- हाल ही में हुए हुलिएन भूकंप में कम मौतें हुईं, ज्यादातर मौतें इमारत ढहने के बजाय भूकंप के कारण चट्टान गिरने से हुईं।
- 1999 के भूकंप के बाद लागू किए गए कड़े बिल्डिंग कोड ने हाल के भूकंप में न्यूनतम क्षति में योगदान दिया, जिसमें हुआलिएन और ताइपे में केवल कुछ इमारतें ढह गईं।
- ची-ची भूकंप के बाद प्रशासनिक सुधारों से ताइवान में आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा कटौती उपायों में सुधार हुआ।
- उन्नत भूकंप-निगरानी नेटवर्क, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन जागरूकता अभियानों के साथ ताइवान की भूकंप तैयारी उन्नत है।
- सरकार लगातार भूकंप सुरक्षा आवश्यकताओं को अद्यतन करती है और भवन मालिकों को भूकंप प्रतिरोध में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

PatrioticIAS

- ताइवान के भूकंपीय कोड प्रत्येक क्षेत्र में भूकंप की आवृत्ति और तीव्रता के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें भूकंपीय डैम्पर्स और बेस आइसोलेशन सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
- ताइपे 101 जैसी प्रतिष्ठित इमारतों में भूकंपीय गतिविधि का सामना करने और क्षति को कम करने के लिए ट्यून्ड मास डैम्पर्स जैसी विशेषताएं शामिल हैं।

भारत क्या कर सकता है

- भारत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विस्तार के दौर से गुजर रहा है, खासकर हिमालय जैसे टेक्टोनिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में, अक्सर पारिस्थितिक मानदंडों की उपेक्षा की जाती है।
- ताइवान में हाल ही में आया भूकंप भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूकंप सुरक्षा को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करता है।
- भूकंप के दौरान क्षति के जोखिम को कम करने के लिए सभी बुनियादी ढांचे के विकास को भूकंपीय सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
- भारत ताइवान भूकंप से मूल्यवान सबक सीख सकता है, जैसे भूकंपीय कोड का पालन करने और सुरक्षित इंजीनियर संरचनाओं का निर्माण करने का महत्व।
- बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूकंपीय कोड को लागू करने और उनका अनुपालन करने में अपर्याप्तताओं को दूर करना महत्वपूर्ण है।
- भूकंपीय कोड स्थानीय भूकंप गतिविधि, भवन प्रकार और निर्माण सामग्री के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों के अनुरूप बनाए जाते हैं।
- भारत में, भूकंपीय डिज़ाइन कोड IS 1893 द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, जो भूकंप के दौरान इमारत को ढहने से रोकने के लिए भूकंपीय क्षेत्र मानचित्रों पर आधारित है।
- भारत के कुछ हिस्सों में पारंपरिक स्थापत्य शैली प्राकृतिक भूकंप प्रतिरोध प्रदर्शित करती है और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए और आधुनिक निर्माण प्रथाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए।

PatrioticIAS

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: पहला पृथ्वी दिवस समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? (A)1960 (B)1970 (C)1980 (D)1990	उत्तर: (B)1970 **स्पष्टीकरण:** पहला पृथ्वी दिवस 1970 में हुआ था और इसे आधुनिक पर्यावरण आंदोलन में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित में से कौन विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का	उत्तर: (C)हमारे ग्रह में निवेश करें

केंद्रीय विषय है? (A)प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें (B)जलवायु पर अधिनियम (C)हमारे ग्रह में निवेश करें (D)हमारी प्रजाति की रक्षा करें	**स्पष्टीकरण:** 2023 पृथ्वी दिवस की थीम व्यवसायों, सरकारों और व्यक्तियों को स्थायी भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
प्रश्न 3: विश्व पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से किस पहल से जुड़ा है? 1. जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) 2. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) 3. सतत कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन (A)केवल 1 (B)केवल 2 और 3 (C)केवल 1 और 3 (D)1, 2, और 3	उत्तर: (D)1, 2, और 3 **स्पष्टीकरण:** जबकि पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से विशिष्ट संधियों से जुड़ा नहीं है, यह व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देता है जो सूचीबद्ध जैसे प्रमुख पर्यावरण समझौतों के लक्ष्यों का समर्थन करता है ।
प्रश्न 4: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 2. EARTHDAY.ORG पृथ्वी दिवस की गतिविधियों का समन्वय करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (A)केवल 1 (B)केवल 2 (C)1 और 2 दोनों (D)न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (C)1 और 2 दोनों **स्पष्टीकरण:** दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सटीक हैं।
प्रश्न 5: निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? (A)पद्म श्री (B)पद्म भूषण (C)पद्म विभूषण (D)भारत रत्न	उत्तर: (D)भारत रत्न **स्पष्टीकरण:** जबकि पद्म पुरस्कार अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं, भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
प्रश्न 6: पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किये जाते हैं: (A)गृह मंत्रालय (B)संस्कृति मंत्रालय (C)प्रधान मंत्री कार्यालय (D)भारत के राष्ट्रपति	उत्तर: (D)भारत के राष्ट्रपति **स्पष्टीकरण:** भारत के राष्ट्रपति प्रधान मंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पद्म पुरस्कार प्रदान करते हैं।
प्रश्न 7: पद्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए	उत्तर: (D)1, 2, 3, और 4

PatrioticIAS

जाते हैं? 1. कला 2. विज्ञान और इंजीनियरिंग 3. सार्वजनिक मामले 4. खेल (A)केवल 1 और 2 (B)केवल 2 और 4 (C)केवल 1, 3, और 4 (D)1, 2, 3, और 4	**स्पष्टीकरण:** पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि सहित कई क्षेत्रों में योगदान को मान्यता देते हैं।
प्रश्न 8: पद्म पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इनकी घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। 2. पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं - पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 3. उन्हें राष्ट्र के लिए विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? (A)केवल 1 और 2 (B)केवल 2 और 3 (C)केवल 1 और 3 (D)1, 2, और 3	उत्तर: (D)1, 2, और 3 **स्पष्टीकरण:** पद्म पुरस्कारों के बारे में तीनों कथन सटीक हैं।

प्रश्न 9: आईएनएसवी तारिणी निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? (A)पूरी तरह से महिला दल के साथ दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय नौका (B)एक ही यात्रा में सभी महाद्वीपों का दौरा करने वाला पहला भारतीय युद्धपोत (C)सिडनी से होबार्ट यॉट रेस में पदक जीतना (D)आर्कटिक सर्कल के लिए एक वैज्ञानिक अभियान चलाना	उत्तर: (A)पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली भारतीय नौका **स्पष्टीकरण:** आईएनएसवी तारिणी 'नाविका सागर परिक्रमा' नामक इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए जानी जाती है।
प्रश्न 10: आईएनएसवी तारिणी एक है: (A)परमाणु संचालित पनडुब्बी (B)निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (C)सेलबोट (D)विमान वाहक	उत्तर: (C)सेलबोट **स्पष्टीकरण: INSV** तारिणी एक 56 फुट का नौकायन जहाज है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र में नौकायन के लिए किया जाता है।

PatrioticIAS

प्रश्न 11: निम्नलिखित में से कौन सा संगठन INSV तारिणी का मालिक और संचालक है? (A)तट रक्षक (B)भारतीय नौसेना (C)रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) (D)शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	उत्तर: (बी) भारतीय नौसेना **स्पष्टीकरण:** INSV तारिणी भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा है और साहसिक और प्रशिक्षण दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है।
प्रश्न 12: INSV तारिणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. यह पूरी तरह से महिला चालक दल के साथ दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला भारतीय जहाज है। 2. इसका उपयोग भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (A)केवल 1 (B)केवल 2 (C)1 और 2 दोनों (D)न तो 1 और न ही 2	उत्तर: (C)1 और 2 दोनों **स्पष्टीकरण:** दोनों कथन सटीक हैं। आईएनएसवी तारिणी की ऐतिहासिक यात्रा में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया था।

PatrioticIAS